प्रेषक,

योगेन्द्र चौहान,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिदेशक,
अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ, उ0प्र0।

द्वारा:– माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय:– **उ0प्र0 राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण शासनादेश सं0–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयनित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित के संदर्भ में सादर निवेदन बिन्दुवार निम्न प्रकार से हैं कि–

1. उ0प्र0 राज्य सरकार के अधीन मेरी प्रथम नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर विज्ञापन संख्या–ए–4/ई–1/2002, दिनांकित 31.12.2002 के सापेक्ष हुई थी। मेरे द्वारा निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दिनांकित 06.04.2005 के अनुपालन में दिनांक 11.04.2005 को पूर्वाह्न में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिणार्थ जनपद मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण किया गया था। मैं अपर महानिदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन में प्रशिक्षणोपरांत जनपद हरदोई में कार्यभार ग्रहण करके कार्यरत रहा। अभियोजन सेवा के दौरान अभियोजन निदेशालय के पत्रांक संख्या–एक–दो–ए0पी0ओ0–पार्ट–3/5988/08, दिनांकित 12 नवंबर, 2008 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा वर्ष 2006 के साक्षात्कार में सम्मिलित होकर चयनित होने के उपरांत अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या–एक–दो–ए0पी0ओ0–कार्यमुक्त–2009/2310/2008 दिनांकित 06 मई, 2009 एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरदोई के पत्रांक संख्या–हरदोई–मिस0–चौहान/09/180/2009 दिनांकित 12.05.2009 के अनुपालन में दिनांक 12.05.2009 को अपराह्न में जनपद हरदोई से कार्यमुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या–297/ए0आर0(एस)/2009 दिनांकित 17.04.2009 एवं उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–1247/द्वितीय–04–09–32(1)/2008, दिनांकित 01.04.2009 के अनुपालन में जनपद रायबरेली में अपर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर कार्यभार ग्रहण करके लगातार न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए वर्तमान में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर जनपद मुरादाबाद में कार्यरत हूं।

2. उपरोक्त विषयक के संबंध में यह भी निवेदन है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024, दिनांकित 28.06.2024 एवं सपठित शासनादेश संख्या–20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301(1) / 2024, दिनांकित 11.07.2024 के कम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे कर्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद / रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. उत्तर प्रदेश शासन के सुसंगत शासनादेशों के कम में उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से दिनांक 12.05.2009 तक की सेवाओं का लाभ मिलने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय में पत्रांक संख्या–1227 / 2024 / प्रशा0 / मुरादाबाद, दिनांकित 09 जुलाई, 2024 द्वारा पूर्व की सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा को वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में योजित किए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि उपरोक्त अद्यतन शासनादेशों क्रमशः सं0–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024 दिनांकित 28.06.2024 एवं सं0–20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301(1) / 2024, दिनांकित 11.07.2024 के अनुक्रम में मेरी उ0प्र0 राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति अभियोजन सेवा (सहायक अभियोजन अधिकारी) के रूप में है। अतः उपरोक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण मैं शासनादेश संख्या–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301(1) / 2024, दिनांकित 28.06.2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये, तदनुसार शासनादेश संख्या–20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301(1) / 2024, दिनांकित 11.07.2024 के अनुसार जारी विकल्प पत्र के प्रारूप पर आवेदन संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि आवेदक के पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को ग्रहण करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 30.07.2024

भवदीय,

30.07.2024

(योगेन्द्र चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

संलग्नकः–

1. शासनादेश सं0–20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301(1) / 2024, दिनांकित 11.07.2024 का विकल्प पत्र।
2. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2002 की विज्ञप्ति की प्रति।
3. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से न्यायिक सेवा में जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

4. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से कार्यमुक्ति के आदेश की प्रति।

5. अपर सिविल जज (जू0डि0) रायबरेली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाण पत्र की प्रति।

6. दोनों सेवाओं के योजना हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दिये गये प्रत्यावेदन दिनांकित 09.07.2024 की प्रति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1373 I 1. श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज।

1373 II 2. अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

1373 III 3. प्रमुख सचिव गृह अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

30/7/24

भवदीय,

30/07/2024

(योगेन्द्र चौहान)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पत्रांक–1373 / 2024 / प्रशा0 / मुरादाबाद, दिनांकः 30/7/24

सेवा में,

महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0प्र0 को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,

मुरादाबाद।

A-1

शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक–

विकल्प पत्र

1. **नाम–** योगेन्द्र चौहान
2. **वर्तमान पदनाम–** अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।
3. **वेतनमान–** रूपये 163030/–मूल वेतन
4. **वर्तमान विभाग का नाम–** न्याय विभाग।
5. **राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम–** अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0।
6. **विज्ञप्ति की तिथि–** ए–4/ई–1/2002, दिनांकित 31.12.2002
7. **विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि–** 06.04.2005
8. **योगदान की तिथि–** 11.04.2005
9. **जन्म तिथि–** 01.02.1977 (एक फरवरी सन् उन्नीस सौ सतहत्तर)
10. **सेवानिवृत्ति की तिथि–** 31.01.2037 (इकतीस जनवरी सन् दो हजार सैंतीस)

मैं योगेन्द्र चौहान पुत्र मोहन चौहान शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (×) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर........................ 30.07.2024
नाम– **योगेन्द्र चौहान**
पदनाम– अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

घोषणा पत्र

मैं योगेन्द्र चौहान पदनाम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कम सं0–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर........................ 30.07.2024
नाम– **योगेन्द्र चौहान**
पदनाम– अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री योगेन्द्र चौहान पदनाम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (×) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

A-2

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या
ए-4/ई-1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

डाक घर द्वारा आवेदन पत्र विक्रय की तिथि · 25 जनवरी 2003
आयोग द्वारा · आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि · 21 फरवरी 2003

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञापन आयोग के वेबसाईट http://www.uppsc.org, पर भी उपलब्ध है।
2.इस परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र परम्परागत आवेदन पत्र सहित जिलों के क्रमांक 7(2) में निर्धारित डाक घरों से मूल्य के आधार पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र के पी.जी. सीरीज (केवल सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों (समाज के विकलांग को छोड़कर) का मूल्य रु० 215/- तथा पी.आर. सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं समाज के विकलांग हेतु) का मूल्य रु० 125/- होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य उनकी मुख्य श्रेणी के अनुसार होगा।
3 आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र तथा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश , विषय तथा पाठ्यक्रम भी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद , उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा में सहायक अभियोजन अधिकारी के 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा इलाहाबाद तथा लखनऊ के निर्धारित केन्द्रों पर एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेंगे। उक्त 57 पदों में से सामान्य की 27 अनुसूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 रिक्तियाँ हैं। परीक्षा की तिथियाँ तथा केन्द्र आवंटित कर अभ्यर्थियों को समयानुसार सूचित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने पर यथावश्यक प्रारम्भिक परीक्षा भी कराई जा सकती है।

2. रिक्तियो की संख्या असामान्य परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है।

3. आरक्षण : क्षैतिज आरक्षण समाज के विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को अद्यतन शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट : (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।
(3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करें।(4) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो एवं महिलाओं को आरक्षण अनुमन्य नही है।

4. वेतनमान रु 6500-10500.

5. शैक्षिक अर्हताएं : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिए।

अधिमानी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना मे दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

6. आयु :- (I) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(ग) अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी। उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी। (केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही उक्त छूट अनुमन्य होगी)(ख) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों की भी आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।(ग) अवमुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या 17/12/1981 – कार्मिक -2, दिनांक 28.2.85 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवकाश ग्रहण करने वाले हो।(घ) शासनादेश संख्या – 22/21/1983 – कार्मिक –2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी ऐसे अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र के साथ प्राप्त प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(घ) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता :- आपात कमीशन प्राप्त/अल्प कालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए है, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा मे पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या 22/10/1980 कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार आवेदन कर सकते है।

(क) ऐसे आवेदकों को सेना, नौ सेना, वायु सेना के सक्षम अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ख) ऐसे आवेदको को आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेगें।

(ग) आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि –

(i) उन्हे सेना मे स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ii) वे त्याग पत्र देकर अथवा स्वयं के निवेदन पर अवमुक्त हुए हों।

(iii) वे सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हो।

(छ) ऐसे विवाहित पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

7. आवेदन कैसे करें :- ओ.एम.आर. आवेदन पत्र, परम्परागत आवेदन पत्र निर्देश, विषय एवं पाठ्यक्रम आदि प्रधान/मुख्य डाक घर तथा निम्नलिखित डाक घरों से क्रय किए जा सकते हैं। आवेदन पत्रों का मूल्य पी.जी. सीरीज (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी (समाज के विकलांग को छोड़कर) रू० 215/- तथा पी.आर. सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) रू० 125/- होगा। आवेदन पत्र वितरण की तिथि से आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक प्राप्त होंगे।

अभ्यर्थियों को अलग से कोई शुल्क या ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा करना है।

7(2)डाक घरों की सूची :- 01- आगरा, 02- अलीगढ़, 03- इलाहाबाद (जी पी ओ), 04- अम्बेडकर नगर (अकबरपुर) 05- औरैया 06- आजमगढ़, 07- बदायूँ, 08- बागपत, 09- बहराइच, 10- बलरामपुर 11- बलिया 12- बांदा 13- बाराबंकी 14- बरेली, 15- बस्ती (बांसी), 16- बिजनौर, 17- बुलन्दशहर 18- चन्दौली 19- चित्रकूट (कर्वी), 20- देवरिया, 21- एटा, 22- इटावा, 23- फैजाबाद 24- फर्रुखाबाद (फतेहगढ़), 25- फतेहपुर 26- फिरोजाबाद, 27- गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), 28- गाजियाबाद, 29- गाजीपुर, 30- गोंडा,31- गोरखपुर 32- हमीरपुर, 33- हरदोई, 34- हाथरस, 35- जालौन (उरई) 36- जौनपुर, 37- झाँसी, 38- ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा), 39- कन्नौज, 40- कानपुर (जीपीओ) 41- कौशाम्बी (मंझनपुर), 42- कुशीनगर (पडरौना) 43- लखीमपुर खीरी, 44- ललितपुर, 45- लखनऊ (जी पी ओ) 46- महाराजगंज, 47- महोबा, 48- मैनपुरी, 49- मथुरा, 50- मऊ, 51- मेरठ 52- मिर्जापुर, 53- मुरादाबाद, 54- मुजफ्फर नगर, 55- पीलीभीत, 56- प्रतापगढ़, 57- राय बरेली, 58- रामपुर, 59- सहारनपुर, 60- संत कबीर नगर (खलीलाबाद), 61- संत रविदास नगर (भदोही), 62- शाहजहाँपुर, 63- श्रावस्ती (भिनगा), 64- सिद्धार्थ नगर (नौगढ़ बाजार), 65- सीतापुर, 66- सोनभद्र (राबर्ट्स गंज), 67- सुल्तानपुर 68- उन्नाव, 69- वाराणसी, (जी पी ओ)।

(प्रभारी सचिव)
[illegible], सचिव

Self attested
[illegible]
30/07/2024

A-3

[redacted]

फैक्स

दूरभाष : 2720712
फैक्स : 2720865

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक एक–दो–एपीओ--एनओसी–पार्ट–3/5980/08 दिनांक 12 नवम्बर 2008

//अनापत्ति प्रमाण--पत्र//

श्री योगेन्द्र चौहान, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद हरदोई ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2006 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का अनुरोध किया गया है। यदि इनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 सिविल जज (जू0डि0) के पद हेतु की जाती है तो शासन के अनुमोदनोपरांत इन्हें कार्यमुक्त किये जाने में अभियोजन निदेशालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0,लखनऊ।

प्रतिलिपि–

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक अभियोजन, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
3. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, हरदोई।
4. श्री योगेन्द्र चौहान, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद हरदोई।

Self attested
30/07/2024

11.11.08
(मुकुन्द जैन)
अपर निदेशक (विधि),
उ0प्र0,लखनऊ।

[redacted]

फैक्स
दूरभाष 2720712
फैक्स 2720865

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक एक–दो–एपीओ–कार्यमुक्त–2009/2310 /08 दिनांक 08 मई, 2009

संयुक्त निदेशक अभियोजन/
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
जनपद–मेरठ/हरदोई।

विषय सर्वश्री ओम प्रकाश एवं योगेन्द्र चौहान, सहायक अभियोजन अधिकारी को उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा 2006 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन के फलस्वरूप कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या–1111/छः–पु0–9–09–31(107)/99 दिनांक–8.5.2009 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा 2006 के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर चयन के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को अभियोजन विभाग की सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क0सं0	अधिकारी का नाम/पद नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	श्री ओम प्रकाश, सहायक अभियोजन अधिकारी	मेरठ
2	श्री योगेन्द्र चौहान, सहायक अभियोजन अधिकारी	हरदोई

उक्त अधिकारियों का अभियोजन विभाग की सेवा में 03 वर्ष तक अथवा नवचयनित पद पर स्थायी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारणाधिकार (लियन) सुरक्षित रहेगा।"

2 अतः तदनुसार कार्यवाही करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपरोक्त अधिकारियों के पक्ष में कोई देयक/प्रकरण लंबित न हो एवं कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(वी0के0 सिंह)
अपर महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन को शासन के पत्रांक 1111/छः–पु0–9–09–31(107)/99 दिनांक–8.5.2009 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2 परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन, मेरठ/लखनऊ।

Self attested
30/07/2024

8.5.09
(वी0के0 सिंह)
अपर महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

[redacted]

कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, हरदोई।
संख्या:हरदोई-अभि0-प्रशासन/09/180/09

" कार्यालय आदेश "

अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/2310/08 दिनांकित 8 मई 2009 जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2006 के आधार पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयन के फलस्वरूप श्री योगेन्द्र चौहान सहायक अभियोजन अधिकारी को आज दिनांक 12.05.2009 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जा रहा है।

उक्त अधिकारी के पक्ष में कोई देयक/प्रकरण लम्बित होने के तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं।

(छद्दू राम)
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
हरदोई।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर/निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक अभियोजन, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, हरदोई।
4. सम्बन्धित अधिकारी।

12/05/09

(छद्दू राम)
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
हरदोई।

Self attested
30/07/2024

[redacted]

कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), रायबरेली का प्रभार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति सं0 297/ए.आर.(एस)/2009 दिनांकित 17.04.2009 एवं उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1247/II-4-09-32(1)/2008 दिनांकित 01.4.2009 के अनुपालन में आज दिनांक **13.05.2009** को **पूर्वान्ह** में ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहण अधिकारी **(योगेन्द्र चौहान)**

प्रतिहस्ताक्षरित

जनपद न्यायाधीश
रायबरेली।
13.5.09

पत्रांक : 459(9)/I-28-09 दिनांक : 13 .05.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1 महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2 निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठिका, लखनऊ।
3 संयुक्त निबन्धक, कम्प्यूटर्स, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
4 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5 सचिव, उ0 प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग–4, लखनऊ।
6 महालेखाकार, ए0 जी0–8 अनुभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
7 संयुक्त निदेशक कोषागार निदेशालय कैम्प कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
8 कोषाधिकारी, रायबरेली।
9 सम्बन्धित अधिकारी।
10 कार्यालय अभिलेख

Self attested 30/07/2024

न्यायालय की आज्ञा से,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
न्यायालय जनपद न्यायाधीश
रायबरेली।

A-6

S0004752 2024

प्रेषक,

योगेन्द्र चौहान,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः–

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषयः– न्यायिक सेवा में आने के पूर्व की सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ वर्तमान न्यायिक सेवा में योजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैंने दिनांक 13.05.2009 को अपर सिविल जज (क0प्र0) रायबरेली के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पूर्व में मैं विज्ञापन संख्या ए–4/ई–1/2002 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयनित हुआ था और जनपद मुरादाबाद एवं हरदोई में दिनांक 11.04.2005 से दिनांक 12.05.2009 तक कार्यरत रहा। मेरे द्वारा अभियोजन विभाग से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके सिविल जज (क0प्र0) का फार्म भरा गया था। सिविल जज (क0प्र0) की सेवा में चयनित होने के उपरांत मेरे द्वारा अभियोजन निदेशालय से सिविल जज (क0प्र0) की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभियोजन सेवा से मुक्त होने की अनुज्ञा मांगी गयी। इस पर अनुसचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश संख्या 1111/छः–पु0–9–09–31 (107)/99 दिनांकित 08.05.2009 के द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में स्थायी होने तक या अभियोजन की सेवा में तीन वर्ष तक, या इनमें से जो भी पहले हो, के पद पर मेरा धारणाधिकार (लिएन) बनाये रखने का आदेश हुआ। इसी प्रकार का आदेश पत्रांक संख्या–एक–दो–ए0पी0ओ0–कार्यमुक्त–2009/2310/08, दिनांकित 06.05.2009 को अपर निदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा भी किया गया। मेरे द्वारा श्रीमान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरदोई के आदेश दिनांकित 12.05.2009 के अनुपालन में सहायक अभियोजन अधिकारी का कार्यभार छोड़ा गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के विज्ञापन/अधिसूचना संख्या–297/ए0आर0(एस)/2009 दिनांकित 17.04.2009 एवं उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1247/द्वितीय 4 09 32(1)/2008 दिनांकित 01.04.2009 के अनुपालन में जनपद रायबरेली में अपर सिविल जज (क0प्र0) का कार्यभार दिनांक 13.05.2009 को ग्रहण किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुसार दिनांक 28.03.2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इस विकल्प को चयन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2024 है। मेरी

सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा की विज्ञप्ति दिनांक 28.03.2005 से पूर्व की है। मेरे द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करना है। मेरी सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा के दौरान तैयार की गयी सेवा पुस्तिका वर्तमान समय में शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज में मौजूद है। मै दिनांक 11.04.2005 से उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में निरन्तर बिना किसी भी बाधा (रुकावट) के कार्यरत हूं। मेरी पूर्व की सेवा को पंशन के प्रयोजनार्थ एक साथ योजित (जोडा) किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरी पूर्व से सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ वर्तमान न्यायिक सेवा में योजित करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 09.07.2024

प्रार्थी / भवदीय,

09.07.2024

(योगेन्द्र चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–10, मुरादाबाद।

संलग्नकः–

1. अभियोजन विभाग की सेवा से से कार्यमुक्त होने का आदेश।
2. सिविल जज कनिष्ठ प्रखण्ड रायबरेली में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र।
3. विज्ञप्ति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पत्रांक– 1227 / 2024 / प्रशा0 / मुरादाबाद, दिनांकः 09/7/24

सेवा में,

माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को ससम्मान अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
09/7/24

Self attested
30/7/2024

A-6

By FAX/E-mail/Registered Post

HIGH COURT AT ALLAHABAD

From,

Rajeev Bharti, H.J.S.,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

(1)All the District & Sessions Judges/ O.S.D.,
(2)All the Principal Judges of Family Courts,
(3)All the Presiding Officers, MACTs, LARRAs, Commercial Courts
(4)All the Judicial Officers posted on deputation,
State of Uttar Pradesh

No.10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated:July.29th,2024.

Sub : Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme or to remain in New Pension Scheme in light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No.20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.

Sir,

With reference to aforesaid subject and in continuation of earlier letter no. 9691/IV-F-82(Pension)/Admin(A) dated 16.07.2024, I am desired to say that the Officers of U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S who have rendered service in any other department prior to entering into U.P.Judicial Services and find themselves eligible to fill Option Form on the basis of their joining in previous service as per cut off date(s), in light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No.20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P. are requested to submit duly filled Option Form directly to the Head of Office/Head of Department of their previous department to opt O.P.S./N.P.S. in their previous service, through the District Judge/Head of Office at their present posting station and a copy of the same is to be forwarded to this Court for intimation purposes only.

I, am therefore, to request you to kindly circulate these instructions, to be followed by concerned Judicial Officers accordingly.

Regards,

Yours faithfully,

29/7/24

Registrar General

Self attested
30/07/2024